राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी लोक अदालत केम्प कोर्ट–सासरी

पीठासीन अधिकारी :– **श्री राजेश मेवाडा आर.ए.एस.**
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 13/2004
दायरा तिथि :20.02.2004
निर्णय तिथि : 29.05.2017

वादीः–

भीकाराम उर्फ भीकालाल पुत्र स्व0 श्री हजारीरामजी
जाति लौहार निवासी गांव आसापुरा तहसील देसूरी जिला पाली(राज0)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. मांगीलाल
2. मूलाराम
3. हंसराज उर्फ हंसराम पिसरान् स्व0 श्री हजारीरामजी जाति लौहार
   निवासीगण गांव आसापुरा तहसील देसूरी जिला पाली (राज0) क्र0सं0 03
   हाल निवास A/c हंसराम, S.S.Q. 130 बटालियन, B.S.F.बान्दीपुर श्रीनगर–56 A.P.O.
4. तहसीलदार (भूमिधारी), देसूरी
   शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा, देसूरी

: निर्णय :

दिनांक : 29.05.2017

दावा बाबत 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वादी द्वारा प्रस्तुत पत्रावली न्याय आपके द्वार, 2017 शिविर सांसरी मे पेश हुई। वादी व प्रतिवादी पक्ष बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मौजा ग्राम आसापुरा के खसरा नंबर 140, 356 रकबा क्रमशः 1.06 हैक्टर, 2.20 हैक्टर कुल रकबा 3.26 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल व बारानी दोयम कुल लगानी 7.42 रूपये वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त सह खातेदारी मे दर्ज है। जिसमे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का 1/4, 1/4 हिस्सा दर्ज खातेदारी के अनुसार विभाजन की डिक्री वादी ने चाही है। प्रतिवादीगण ने अपने जबावदावा में वादी का वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्सा होना स्वीकार किया परन्तु मौके पर वादी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहने के तथ्य अंकित किये गये।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से यह जाहिर हैं कि वादग्रस्त भूमि मौजा ग्राम आसापुरा के खसरा नंबर 140, 356 रकबा क्रमशः 1.06 हैक्टर, 2.20 हैक्टर कुल रकबा 3.26 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल व बारानी दोयम कुल लगानी 7.42 रूपये वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त सह खातेदारी मे दर्ज है। जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा दर्ज हैं तथा इस तथ्य को प्रतिवादीगण अपने जबावदावा में भी स्वीकार करते हैं। अतः बाद अवलोकन पत्रावली वादग्रस्त भूमि मौजा ग्राम आसापुरा के खसरा नंबर 140, 356 रकबा क्रमशः 1.06 हैक्टर, 2.20 हैक्टर कुल रकबा 3.26 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल व बारानी दोयम कुल लगानी 7.42 रूपये के संबध में रेकर्ड में दर्ज हिस्सानुसार वादी एवं

पेज लगातार–2

राजस्व वाद संख्या 13/2004 अनवान भीकाराम बनाम मांगीलाल वगैरा
अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का 1/4, 1/4 हिस्सा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार, देसूरी को भिजवाई जाकर निर्देश दिये जाते है वह उक्तानुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन कर रिपोर्ट इस न्यायालय मे पेश करे। विभाजन मे प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट मे रखी भूमि का पृथक–पृथक ब्यौरा यथा खसरा संख्या, रकबा, किस्म भूमि, लगान ईत्यादि दर्शाते हुये तथा आवागमन के लिये रास्ता की उपलब्धता रखते हुये मय नजरी नक्शा मे प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट की भूमि को पृथक–पृथक रंगो से दर्शाते हुये रिपोर्ट पेश की जावे। विभाजन रिपोर्ट प्राप्त होने पर पृथक से ईजराय पत्रावली कायम कर प्रकरण मे नियमानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक **29.05.2017** को मजमा–ए–आम मे सुनाया गया।

(राजेश मेवाडा)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी

क्रमॉक/केम्प कोर्ट/2017/ दिनांक 29.05.2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ :–

1. तहसीलदार, देसूरी
2. पटवारी हल्का, कोट सोलंकियान

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी
केम्प–सांसरी